



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-49

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 266203 दिनांक 11/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | मूल आवंटी/लीजधारक का नाम | भूखण्ड संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल | ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना | योजना का नाम | सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया | कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज |
|---------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Babu Lal Choudhary S/o JAGDISH | श्रीमती सारू देवी पत्नी श्री जगदीश | 536 | 129.20 SQ. METER | JDA | SWARAN VIHAR Sector/Block- | Name Transfer | आवेदक श्री बाबूलाल चौधरी पुत्र श्री जगदीश द्वारा जविप्रा की योजना स्वर्ण विहार के आवासीय भूखण्ड संख्या 536 क्षेत्रफल 129.20 व0मी0 का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा क्रमांक 235 दिनांक 28.06.2016 के द्वारा श्रीमती सारू देवी पत्नी श्री जगदीश के नाम जारी किया गया था। लीजधारक श्रीमती सारू देवी की मृत्यु दिनांक 17.05.2021 एवं श्री जगदीश की मृत्यु दिनांक 20.07.2018 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु के पश्चात |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

इनके विधिक वारिस (क्रमशः श्रीमती रूपली देवी, श्रीमती सुमित्रा देवी, श्रीमती मन्नी देवी, श्रीमती लाली देवी, श्रीमती सीता देवी पुत्रीया स्व० श्री जगदीश एवं श्री जानचन्द, श्री भागचन्द, श्री बाबूलाल पुत्रान् स्व० श्री जगदीश हैं) तत्पश्चात श्रीमती रूपली देवी, श्रीमती सुमित्रा देवी, श्रीमती मन्नी देवी, श्रीमती लाली देवी, श्रीमती सीता देवी पुत्रीया स्व० श्री जगदीश एवं श्री जानचन्द, भागचन्द पुत्रान् स्व० श्री जगदीश द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 05.04.2023 के द्वारा श्री बाबूलाल पुत्र स्व० श्री जगदीश के पक्ष में हकत्याग निष्पादित किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Babu Lal Choudhary S/o JAGDISH को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रजिस्ट्रार को उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |